भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3824

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

इंडोसल्फान के पीड़ित

3824. श्री राजमोहन उन््नीथन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल के कासरगोड जिले में इंडोसल्फान पीड़ित,जो वर्षों से कष्ट मे हैं, को केन्द्र सरकार और केरल राज्य सरकार द्वारा उनकी पेंशन में कटौती/विलंब करके उन्हें गरीबी में धकेल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पीड़ितों की अभी भी उपेक्षा की जा रही है/सरकार द्वारा उन्हें पूरी सहायता नहीं दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने दयनीय जीवन जी रहे ऐसे गरीब लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने के साथ -साथ उनका पूर्ण पुनर्वास करने के लिए कोई कार्रवाई की है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का केरल राज्य के उपेक्षित उत्तरी क्षेत्रों में इन पीड़ितों की सहायता करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कासरगोड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके समग्र संसाधन क्षमता में किए गए प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रस्तावों का एनएचएम की राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार एनपीसीसी की बैठक में हुई चर्चाओं और लिए गए निर्णयों के आधार पर अनुमोदन प्रदान किए जाते

हैं। तदनुसार, यह मंत्रालय वर्ष 2012-13 से 2021-2022 तक की अवधि के लिए इंडोसल्फान रोगियों के पुनर्वास के लिए केरल राज्य को एनएचएम के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा है। कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) 2012-13 से 2021-2022 के अनुसार, इंडोसल्फान रोगियों के पुनर्वास के लिए केरल राज्य को एनएचएम के तहत सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

केरल राज्य ने सूचित किया है कि इंडोसल्फान पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज के एक भाग के रूप में, स्वास्थ्य विभाग ने सर्वेक्षण के साथ-साथ चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए हैं और इंडोसल्फान पीड़ितों की पहचान की है। इस सूची को जिला कलेक्टर, कासरगोड द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन को प्रस्तुत किया गया था।

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन कासरगोड जिले के इंडोसल्फान प्रभावित क्षेत्रों में स्नेहसंतवनम स्कीम कार्यान्वित करता है जो पीड़ितों/देखभाल करने वालों को मासिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 17 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ङ) से (च): केरल के कासरगोड जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुलग्नक

वर्ष 2012-13 से 2021-2022 तक की अवधि के लिए इंडोसल्फान रोगियों के पुनर्वास के लिए केरल राज्य को एनएचएम के अंतर्गत सहायता

वित्तीय वर्ष	अनुमोदन (रु. में)
2012-13	5,60,10,000 रुपये
2013-14	2,27,60,000 रुपये
2014-15	3,00,00,000 रुपये
2015-16	5,12,15,000 रुपये
2016-17	4,00,00,000 रुपये
2017-18	2,18,85,000 रुपये
2018-19	3,53,90,000 रुपये
2019-20	1,40,20,000 रुपये
2020-21	1,50,00,000 रुपये
2021-22	1,50,00,000 रुपये

Microsoft Translator

Original

The approvals are thereby accorded based on the discussions and decisions taken in the NPCC meeting.